राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–1086/2011/सिरोही
2. अपील संख्या–1087/2011/सिरोही

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, सुमेरपुर। .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स अम्बे स्टील उद्योग,
शिवगंज, सिरोही। .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उपराजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक ..... व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 08.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सुमेरपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 01.09.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) एवं 76(9) तहत् निम्नानुसार आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी		कर निर्धारण दिनांक	आरोपित शास्ति
		अपील संख्या	आदेश दिनांक		
1.	1086/2011	131/आरवेट/सिरोही/10–11	08.02.11	01.09.10	9,72,72
2.	1087/2011	130/आरवेट/सिरोही/10–11	08.02.11	01.09.10	9,72,72

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, सुमेरपुर (जिसे आगे **'जॉच अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 07.08.2010 को वाहन संख्या आरजे–19–जी–5878 को चैक किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा चालान मय बिल्टी पेश किये, वाहन में परचून माल एवं स्टील सर्कल पाये गये। स्टील सर्कल के संबंध में कोई बिल–बिल्टी एवं चालान नहीं पाये गये। जॉच अधिकारी द्वारा माल को प्रथम दृष्टया करापवंचन का मानकर माल को डिटेन कर अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई। कर

.....2.

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(c)(a) का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के तहत् शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि जॉच अधिकारी द्वारा जॉच करने पर जॉच समय तक वाहन में से परचून माल उतारा जा चुका था केवल स्टील के सर्कल वजन भरे हुए थे, एवं स्टील के सर्कल वजन के समर्थन में कोई बिल, बिल्टी एवं चालान पेश नहीं किये गये। एक लम्बे अन्तराल के बाद प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की पश्चातवर्ती सोच का प्रतीक है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन में कहा कि माल के परिवहन के समय परिवहनित माल स्टील सर्कल से संबंधित दस्तावेज वाहन में बैठे माल मालिक के पास ही थे, परन्तु माल के अनलोडिंग के वक्त कुछ काम होने से माल मालिक माल से संबंधित दस्तावेज लेकर अपने घर चला गया, जो कि उनके द्वारा बाद में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे। उन्होंने कथन किया कि उक्त माल श्री समराथल मेटल, जोधपुर द्वारा जॉब वर्क होकर आया था, इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ड्राईवर को नोटिस जारी करने के पूर्व ड्राईवर द्वारा मैसर्स गंगा स्टील, जोधपुर का बिल प्रस्तुत किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने यह कहते हुए लेने से मना किया कि यह नोटिस के जवाब के साथ पेश करना। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जॉच अधिकारी द्वारा जॉच करने पर जॉच समय तक वाहन में से परचून माल उतारा जा चुका था, केवल स्टील के सर्कल वजन भरे हुए थे, एवं स्टील के सर्कल वजन के समर्थन में कोई बिल, बिल्टी एवं चालान पेश नहीं किये गये। वाहन चालक के पास अन्य परिवहनित किए जा रहे परचून माल का चालान एवं बिल्टियां पाई गई, किन्तु स्टील सर्कल का कोई भी वैद्यानिक दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी या चालान नहीं पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने भी बयानों में स्वीकार किया है कि उनके

.....3.

पास स्टील सर्कल के कोई बिल, बिल्टी या चालान नहीं है। नोटिस जारी करने के बाद व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पश्चात्वर्ती सोच (After Thought) है। यहॉ यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या अधिनियम की धारा 76(2)(a) की पालना में परिवहनित किए गए स्टील सर्कल के कोई दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी या चालान संलग्न थे, या नहीं। यह एक निर्विवाद तथ्य है, जो कि वाहन चालक के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। बाद में प्रस्तुत जोबवर्क के दस्तावेज प्रत्यर्थी व्यवसायी ने शास्ति से बचने हेतु प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् जो शास्ति का आरोपण किया है, वह विधिसम्मत है, अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् शास्ति का आरोपण तब किया जाता है, जब वाहन चालक/माल प्रभारी या ट्रांसपोर्टर द्वारा असहयोग किया जाये, जबकि उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी अथवा ट्रांसपोर्टर ने असहयोग किया हो। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त आच्छादित माल के परिवहन के संबंध में ट्रांसपोर्टर की संलिप्तता (Collusion) साबित नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् आरोपित शास्ति अपास्तनीय है। लिहाजा इस बिन्दु पर अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

22/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य